दैनिक नवज्योति
Kota City - 13 May 2023 - Page 7

राज्य मानवाधिकार आयोग आपके द्वार कार्यक्रम

मानवाधिकार प्रकरणों में परिवादी को त्वरित न्याय मिले: आयोग सदस्य

सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक लेते मानवाधिकार आयोग के सदस्य।

नवज्योति/कोटा

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल (पूर्व आईपीएस) ने सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक एवं कैंप कोर्ट आयोजित कर आयोग में विचाराधीन 21 परिवादों में परिवादीगण की उपस्थिति में सुनवाई कर अधिकांश प्रकरणों का निस्तारण किया। लंबित रहे कुछ प्रकरणों में संबंधित विभागों के अधिकारियों को विधि अनुसार त्वरित एवं निष्पक्ष कार्यवाही कर आयोग को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए निर्देश दिए।

आयोग सदस्य ने कहा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग पिछले 2 वर्षों से राज्य के जिला मुख्यालयों पर आयोग आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रहा है। आयोग को प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों से प्राप्त जांच रिपोर्ट्स की समीक्षा उपरांत जिन प्रकरणों में लोकसेवकों के विरुद्ध मानव अधिकार हनन के आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं, उन मामलों में संबंधित लोकसेवकों के विरुद्ध कार्रवाई व हर्जाना आरोपित कर पीड़ितों को अनुतोष के लिए उचित आर्थिक सहायता राशि मुआवजे के रूप में देने के लिए राज्य सरकार को अनुशंषा की जाती है।

मानवाधिकारों की रक्षा सभी का दायित्व

आयोग सदस्य ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा सभी का दायित्व है, अधिकारी विधि अनुसार विभागीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए आम नागरिकों की समस्याओं का समय समाधान करें। उन्होंने कहा कि विधि अनुसार मिले आमजन के अधिकारों का किसी तरह से उल्लंघन नहीं किया जाए। राजकीय कार्मिकों के सेवानिवृति के बाद मिलने वाले परिलाभ भी समय पर प्रदान किये जाए। उन्होंने विभागीय योजनाओं का लाभ पारदर्शिता से देने एवं विभागीय जांच को समय पर करने के निर्देश दिये।

कैंप कोर्ट के बाद जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पुलिस, प्रशासन, चिकित्सा, विद्युत वितरण निगम सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत लोक सेवकों के विरुद्ध मानवाधिकार हनन की नई शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें आयोग सदस्य द्वारा संबंधित जिलास्तरीय अधिकारीगण को विधि अनुसार, त्वरित एवं निष्पक्ष कार्यवाही कर 2 सप्ताह की अवधि में आयोग को रिपोर्ट पेश करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए। उन्होंने जनसुनवाई में आए प्रत्येक परिवादी से रूबरू होकर उसकी समस्याओं को सुना तथा सम्बन्धित अधिकारी से जानकारी लेकर समयबद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर कलक्टर ओपी बुनकर, पुलिस अधीक्षक शहर शरद चौधरी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कावेन्द्र सिंह सागर, अतिरिक्त कलक्टर शहर बृजमोहन बैरवा, उपायुक्त नगर निगम दक्षिण राजेश डागा, उत्तर गजेन्द्रसिंह, उपसचिव यूआईटी मोहम्मद ताहिर सहित जिले के संबंधित जिला स्तरीय अधिकारीगण तथा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से निजी सचिव गणपत शर्मा मौजूद रहे।

मानवाधिकार प्रकरणों में परिवादी को त्वरित न्याय मिले: गोयल

राज्य मानवाधिकार आयोग का आयोग आपके द्वार कार्यक्रम

संदेश न्यूज। कोटा.

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल (पूर्व आईपीएस) ने सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक एवं कैंप कोर्ट आयोजित कर आयोग में विचाराधीन 21 परिवादों में परिवादीगण की उपस्थिति में सुनवाई कर अधिकांश प्रकरणों का निस्तारण किया। लंबित रहे कुछ प्रकरणों में संबंधित विभागों के अधिकारियों को विधि अनुसार त्वरित एवं निष्पक्ष कार्यवाही कर आयोग को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए निर्देश दिए।

आयोग सदस्य ने कहा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग पिछले 2 वर्षों से राज्य के जिला मुख्यालयों पर आयोग आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रहा है। आयोग को प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारीगण से प्राप्त जांच रिपोर्ट्स की समीक्षा उपरांत जिन प्रकरणों में लोकसेवकों के विरुद्ध मानव अधिकार हनन के आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं, उन मामलों में संबंधित लोकसेवकों के विरुद्ध कार्यवाही व हर्जाना आरोपित कर पीड़ितों को अनुतोष के लिए उचित आर्थिक सहायता राशि मुआवजे के रूप में देने के लिए राज्य सरकार को अनुशंसाएं की जाती है।

आयोग सदस्य ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा सभी का दायित्व है, अधिकारी विधि अनुसार विभागीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए आम नागरिकों की समस्याओं का समय समाधान करें। उन्होंने कहा कि विधि अनुसार मिले आमजन के अधिकारों का किसी तरह से उल्लंघन नहीं किया जाए। राजकीय कार्मिकों के सेवानिवृति पश्चात मिलने वाले परिलाभ भी समय पर प्रदान किए जाएं। उन्होंने विभागीय योजनाओं का लाभ पारदर्शिता से देने एवं विभागीय जांच को समय पर करने के निर्देश दिए। कैंप कोर्ट के बाद जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस, प्रशासन, चिकित्सा, विद्युत वितरण निगम सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत लोक सेवकों के विरुद्ध मानवाधिकार हनन की नई शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें आयोग सदस्य द्वारा संबंधित जिलास्तरीय अधिकारीगण को विधि अनुसार, त्वरित एवं निष्पक्ष कार्यवाही कर 2 सप्ताह की अवधि में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।